

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

दिनांक-

क्रमांक- एफ 5(प)(13)एसीटीएडी/माडा/275(1)दौसा/2019-20/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
दौसा।

विषय- धारा 275(1) अन्तर्गत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ पंचवारा, लालसोट (दौसा) में अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्टिन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसकी अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए धारा 275(1) अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति लाख रु	अनुमत कन्टिन्जेन्सी राशि 1.5% (रु.में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय राशि 1.25% (रु.में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित राशि 0.25% (रु.में)	देय राशि (प्रथम किस्त) लाख रु
		क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ पंचवारा, लालसोट (दौसा) में अतिरिक्त कक्षा कक्षों (विज्ञान लैब) का निर्माण	6760 / 22.02.2021	50.00	13 / 10.06.2021	50.00	50.00	0.7500	0.6250	0.1250	40.00

उपरोक्त कार्य हेतु स्वच्छ परियोजना से प्राप्त Untied बचत राशि रुपये 40.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता पदाधिकारी कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक एवं समय पर पूर्ण किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेगे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जायें एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

11

(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

क्रमांक- एक 5(प)(13)एसीटीएडी/माडा/275(1)दौसा/2019-20 / 185 45-55

दिनांक-

15/2/21

प्रतिलिपी -

- निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
- जिला कलक्टर, दौसा।
- वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा को स्वच्छ परियोजना से प्राप्त अनाटाइड बचत राशि रूपये 40.00 लाख हस्तान्तरित करावें।
- निदेशक, मोनितरिंग, कार्यालय हाजा।
- प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ पंचवारा, लालसोट (दौसा)
- माडा मॉनितरिंग, कार्यालय हाजा।
- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
- अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
- गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

0